न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 112/2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 मोहनी देवी पुत्री गोविन्दराम जाति जाट निवासी मण्डावरा तहसील धोद जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 रामगोपाल पुत्र मंशाराम तथाकथित पुत्र मोतीराम।
2 भंवरलाल पुत्र लिछमण।
3 रिछपाल पुत्र घासीराम।
4 मंशा पुत्र घासीराम समस्त जाति जाट निवासीगण मण्डावरा तहसील धोद जिला सीकर।
5 सब रजिस्ट्रार महोदय सीकर जिला सीकर।
6 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार महोदय धोद जिला सीकर।
7 शेखावाटी ग्रामीण बैंक शाखा हर्ष जरिये मैनेजर।
8 बैंक ऑफ बडौदा शाखा स्टेशन रोड सीकर जरिये मैनेजर।
9 गोपाल पुत्र जैसाराम जाति रैगर निवासी गण्डावरा तहसील धोद जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 04.03.2015
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद प्रकरण उनवानी
रामगोपाल बनाम भंवरलाल आदि मु.नं. 311/2014

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांक:— 03.01.2020

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद द्वारा मुकदमा नम्बर 311/2014 में पारित निर्णय दिनांक 04.03.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 रामगोपाल ने एक वाद योग्य अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद मु0 सीकर में इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित गत आराजी खसरा नम्बर 191,194,140,212,139 जिनके हाल खसरा नम्बर 277,281,335,360,278,279, 333 व 346 है व तरमीम खसरा नम्बर 438/278,437/278,436/278, 439/279,440/279,457/333,458/333,460/346,459/346,461/346, 360,277,281,335 ग्राम मण्डावरा तहसील धोद जिला सीकर स्थित है उक्त आराजियात में वादी/रेस्पोडेंट सख्या 1 का 1/4 आराजियात में वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 का 1/4 भाग खातेदार काश्तकार है व 1/4 भाग का भंवरलाल रेस्पोडेंट संख्या 2, 1/4 भाग का प्रतिवादी संख्या 2 रिछपाल रेस्पोडेंट संख्या 3 व 1/4 भाग का प्रतिवादी संख्या 3 रेस्पोडेंट संख्या 4 मंशा काबिज खातेदार काश्तकार है वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 के हक में केवल 0.33 हैक्टेयर जमीन है। रेवन्यू रिकार्ड में अंकित रह गयी है। वाद प्रस्तुत किया। उक्त वाद में अपीलांट जो मृतक गोविन्दा पुत्र महाबक्सा की जायन्दा पुत्री होकर उसके 1/3 भाग अर्थात उपरोक्त विवादित आराजियात के 1/3 भाग अर्थात उपरोक्त विवादित आराजियात के 1/3 भाग की काबिज खातेदार काश्तकार को पक्षकार बनाये बिना ही गलत तथ्य अंकित करते हुए व सही

प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

तथ्य छुपाकर वाद प्रस्तुत किया। अधिनस्थ न्यायालय ने बिना किसी प्रकार की कब्जे सम्बंधी जांच किये व बिना राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये व पत्रावली पर मृतक गोविन्दा के प्रथम श्रेणी के वारिस अपीलांट के मौजूद होते हुए उन्हे अपने कथन व सबूत प्रस्तुत करने का मौका दिये बिना ही उसके 1/3 भाग की भूमि रेस्पोडेंट के हक व वाद विरूद्व कानून अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 04.03.2015 के डिक्री कर दिया। अत अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद के निर्णय व डिक्री दिनांक 04.03.2015 क विरूद्व अपील धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। दौराने अपील रेस्पोडेंट ने आदेश 41 नियम 27 का आवेदन एंव धारा 96 व धारा 5 का जवाब प्रस्तुत किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि में गोविन्दा संवत 1998 , 2013 से 2016 में 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। अपीलांट गोविन्दा की जायन्दा पुत्री है इसकी पुष्टि ग्राम पंचायत मण्डावरा के प्रमाण पत्र से होती है। रेस्पोडेंट का गोविन्दा का गोद पुत्र होने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है। विचारण न्यायालय में अपीलांट को पक्षकार ही नही बनाया गया है। पक्षकार नही होने से विचाराधीन निर्णय की जानकारी नही हो सकी एवं अन्य न्यायालयों में चाराजोही नही कर सकी। धारा 5 एवं धारा 96 का आवेदन स्वीकार कर अपील स्वीकार की जावें। विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलांट विचारण न्यायालय में पक्षकार नही है। इस न्यायालय में अपील का अधिकार विचारण न्यायालय के पक्षकारों को ही है। असाधारण विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है, अपील के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलांट को निर्णय व डिक्री की प्रारम्भ से ही जानकारी थी। अपीलांट का दावा संख्या 235/2010 मोहनी बनाम मंशा पूर्व से ही विचाराधीन था अत यह भलीभांती जानती व समझती थी। धारा 5 के आवेदन में अपीलांट ने पूर्व अधिवक्ता द्वारा

प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील पेश नही करने की सलाह देने का अंकन किया है। इससे पूर्व से जानकारी होना साबित है। अपीलांट ने दूरभि संधि कर कई मुकदमे कर रखे है। रिछपाल बनाम भंवरलाल अपील को इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। विधि अनुसार सदभावी देरी ही कन्डोन योग्य है। अपील मियाद बाहर होने से खारिज होने योग्य है। धारा 96 पर बहस करते हुये कथन किया है कि अपीलांट 1/3 हिस्सा बताकर आई है, गोविन्दा की मृत्यु प्रथम पैमाईश के समय होना कथन किया है ऐसी स्थिति में खातेदारी में नाम आना चाहिए था। विचारण न्यायालय में विचाराधीन वाद संख्या 235/2010 ने कभी इस खातेदारी को चुनौति नही दी। अपीलांट ने पुत्री होने का कोई ठोस सबूत साक्ष्य पेश नही किया है। ग्राम पंचायत वारिसनामा देने हेतु अधिकृत नही है। केवल सिविल न्यायालय ही जारी कर सकता है। गुणावगुण पर बहस करते हुये कथन किया है कि किसी भी मुकदमें में यह नही आया है कि अपीलांट गोविन्दा की पुत्री है। अपीलांट ने जिन से दूरभि संधि कर रखी थी। वे हर जगह पक्षकार थे विचारण न्यायालय में विचाराधीन वाद मोहनी बनाम मंशाराम में हमने जवाब दिया जिसमें सजरे में स्पष्ट किया है कि मोहनी घीसा की लड़की थी। विचाराधीन निर्णय से अपीलांट के हक प्रभावित नही होते है। गोविन्दा की मृत्यु के समय पुराना हिन्दु उतराधिकार अधिनियम लागु था। इसके अनुसार विधवा व शादीशुद्वा पुत्री को अधिकार नही थे। यहां प्रकरण रिमाण्ड करने से अपीलांट के अधिकार तय नही हो सकते है। अपीलांट प्रभावित पक्षकार नही है। अपीलांट की खातेदारी में कभी भी भूमि नही रही है। रामगोपाल मोती का पुत्र होना विभिन्न न्यायालय द्वारा निर्णित किया जा चुका है। अपीलांट को अपील पेश करने का अधिकार नही है। आदेश 41 नियम 27 के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात लोक दस्तावेज है अत आवेदन स्वीकार किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में डी.एन.जे. 2018 (एस.सी.) पेज 221, आर.एल.डब्ल्यू 2002(आर.जे.) पेज 409, डी.एन.जे. 2015 (2)राजस्थान पेज 657, डी.एन.जे. 2018 (रेवन्यू) पेज 46, आर.आर.टी. 2018 (1) पेज 188, आर.आर.टी. 2011 (1) पेज 614, आर.आर.डी. 1998 पेज 639,

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

आर.आर.डी. 1994 पेज 276 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील खारिज करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने रिबटल में कथन किया है कि अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी सदभाविक है अत धारा 5 स्वीकार किया जावें। रेस्पोडेंट का आवेदन आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार करने में ऐतराज नही है। विवादित भूमियों के सन्दर्भ में पूर्व से वाद विचाराधीन था तो पश्चातवर्ति वाद में मुझे पक्षकार क्यों नही बनाया गया। अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ संलग्न दस्तावेजात लोक दस्तावेजात होने से यह आवेदन स्वीकार किया जाता है।

प्रस्तुत प्रकरण में विवादित भूमि गत खसरा नम्बर 191,194,140,212,139 जिनके हाल खसरा नम्बर 277,281,335,360,278,279, 333 व 346 है व तरमीम खसरा नम्बर 438/278,437/278,436/278, 439/279,440/279, 457/333, 458/333, 460/346,459/346,461/346, 360,277,281,335 ग्राम मण्डावरा तहसील धोद जिला सीकर अवस्थित होने एवं इनमें गोविन्दा का हिस्सा होने बाबत अपीलांट एवं रेस्पोडेंट के मध्य कोई विवाद नही है।

पक्षकारों के मध्य विवाद इस बिन्दु को लेकर है कि अपीलांट का कथन है कि गोविन्दा की अपीलांट जायन्दा पुत्री है रेस्पोडेंट रामगोपाल ने अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना विचारण न्यायालय में दावा सख्या 311/2014 प्रस्तुत कर डिक्री करवा लिया। इसके विपरित रेस्पोडेंट का कथन है कि अपीलांट गोविन्दा की पुत्री नही होकर घासी की पुत्री है। इस सन्दर्भ में हमने रेस्पोडेंट द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत वाद के पैरा संख्या 2 में अंकित सजरे का अवलोकन किया इस सजरे में रेस्पोडेंट रामगोपाल ने अपीलांट मोहनी का नाम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

कही भी अंकित नही किया है अर्थात सजरे में घासीराम की सन्तानों में भी मोहनी अपीलांट का नाम अंकित नही है। रेस्पोडेंट द्वारा दौराने अपील प्रस्तुत आवेदन आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ संलग्न दस्तावेजात में मोहनी द्वारा प्रस्तुत एवं वर्तमान में विचारण न्यायालय में विचाराधीन वाद संख्या 277/2014 (235/2010) उनवानी मोहनी बनाम मंशाराम , रामगोपाल के दावे जवाब दावे एवं आदेशिका की सत्यप्रति प्रस्तुत की है। इनका अवलोकन करने से जाहिर होता है कि यह वाद विचारण न्यायालय में मोहनी द्वारा 16.12.2010 को प्रस्तुत किया गया। इस वाद में दिनांक 11.08.2011 को प्रतिवादीगण मंशा व रामगोपाल की उपस्थिति हो गई। इस वाद में मंशा व रामगोपाल ने दिनांक 27.02.2015 को जवाब दावा पेश किया। इस वाद में मोहनी ने वाद पत्र के पैरा संख्या 01 में अंकित सजरे में स्वंय को गोविन्दा की पुत्री अंकित किया है। जबकि जवाब दावे की मद संख्या 01 में अंकित सजरे में मंशा व रामगोपाल ने मोहनी को घीसा की पुत्री अंकित किया है। ऐसी स्थिति में दिनांक 14.02.2007 को वादी रामगोपाल द्वारा प्रस्तुत वाद मे पैरा संख्या 2 में वर्णित सजरे एवं मोहनी द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत वाद संख्या 277/2014 (235/2010) में मंशाराम व रामगोपाल द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा दिनांक 27.02.2015 में पैरा संख्या 01 में वर्णित सजरे के कथन परस्पर विरोधाभासी है। इसके विपरित अपील के साथ अपीलांट द्वारा प्रस्तुत ग्राम पंचायत मण्डावरा का कुर्सीनामा दिनांक 19.09.2018 के अनुसार गोविन्दा पुत्र महाबक्साराम के मोहनी देवी पुत्री है। इसके अलावा अन्य कोई वारिस नही है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि गोविन्दा की पुत्री मोहनी होना प्रथम दृष्टया ग्रम पचांयत मण्डावरा के कुर्सीनामा से साबित है। यद्यपि इस सन्दर्भ में अन्तिम निर्णय अपीलांट द्वारा प्रस्तुत विचारण न्यायालय में विचाराधीन वाद में साक्ष्य सुनवाई के उपरान्त होना शेष है। परन्तु रेस्पोडेंट रामगोपाल द्वारा विचाराधीन निर्णय व डिक्री के वाद में एवं अपीलांट के विचाराधीन वाद के

प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

जवाब में प्रथक–प्रथक विरोधाभाषी कथन अपीलांट की वल्दियत के सन्दर्भ में किये गये है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट का कथन विरोधाभाषी होने से स्वीकार योग्य नही पाया जाता है।

यहां यह भी विचारणीय है कि रेस्पोडेंट को अपीलांट के विचाराधीन वाद की जानकारी दिनांक 11.08.2011 को हो चुकी थी। फिर भी उन्होने स्वंय के वाद संख्या 311/2014 में मोहनी को पक्षकार संयोजित क्यों नही किया। इसके विपरित रेस्पोडेंट रामगोपाल ने अपील के स्तर पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे यह साबित हो कि अपीलांट को वाद संख्या 311/2014 के लम्बित होने की जानकारी थी।

यहां यह भी विचारण तथ्य है कि दिनांक 27.02.2015 को मंशाराम व रामगोपाल द्वारा मोहनी बनाम मंशाराम वाद सख्या 277/2014(235/2010) में जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। इस जवाब दावे में इनके द्वारा स्वंय द्वारा प्रस्तुत एवं विचाराधीन वाद संख्या 311/2014 का कोई अंकन नही किया गया अर्थात मोहनी से इस वाद के लम्बित रहने की जानकारी छिपाई गई है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि अपीलांट मोहनी को विचाराधीन वाद एवं अन्य प्रकरणों की कोई जानकारी नही थी। अपीलांट मोहनी विचाराधीन वाद एवं अन्य प्रकरणों में पक्षकार भी नही थी।

जहां तक विचारण न्यायालय के निर्णय के विरूद्व इस न्यायालय में पूर्व में अपील निर्णित होने का प्रश्न है, उस अपील में वर्तमान अपीलांट पक्षकार नही थी एवं तत्समय अपील के रेस्पोडेंट रामगोपाल ने सम्पूर्ण तथ्य संज्ञान में होते हुये न्यायालय से छिपाकर निर्णय प्राप्त किया है। ऐसी स्थिति में विचाराधीन निर्णय व डिक्री स्थिर रहने योग्य नही होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट के आवेदन धारा 5 एवं 96 सीपीसी न्यायहित में स्वीकार योग्य पाये जाते है एवं विचाराधीन निर्णय व

प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

डिक्री अपास्त किया जाकर विचारण न्यायालय को अन्य वाद संख्या 277/2014 (235/2010) बउनवानी मोहनी बनाम मंशाराम के साथ कन्सोलिडेट कर गुणावगुण पर निर्णय हेतु भिजवाया जाना विधि सम्मत प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार किये जाकर विचारण न्यायालय द्वारा वाद संख्या 311/2014 में पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 04.03.2015 अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि इस वाद को अन्य वाद संख्या 277/2014 (235/2010) बउनवानी मोहनी बनाम मंशाराम के साथ कन्सोलिडेट कर उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.01.2020 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

दिनांक - 3-1-20

रेस्पो० नं० 1 के द्वारा आदेश 41 नियम 5 CPC का आवेदन पेश किया गया जिस आवेदन पर वकील रेस्पो० को सुना गया न्यायहित में उक्त निर्णय की क्रियान्विति दिनांक 20-1-20 तक स्थगित की जाती है। आदेश आज दिनांक 3-1-20 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर